न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 165/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		1 मदनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति अग्रवाल निवासी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।
2 श्री श्यामलाल सिंघल वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 17.04.2018

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भादरेश गांधव के खेत खसरा संख्या 201/119 रकबा 30.00 बीघा भूमि का प्रार्थी भूमिधारी है। उक्त भूमि में से रकबा 20.00 बीघा जो संलग्न नक्शे मे दर्शाई गई है, जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न आवारिय प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 मे वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा भादरेश गाधव के खेत खसरा संख्या 201/119 रकबा 30.00 बीघा भूमि में से 20.00 बीघा भूमि से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भादरेश गांधव के खेत खसरा संख्या 201/119 रकबा 30.00 बीघा के अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। उक्त भूमि मे 06.00 बीघा भूमि अनाज के भण्डार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस हेतु शुल्क रू. 72855/– भी जमा करवाई गई है। इस प्रकार भूमि सम्परिवर्तन बाबत् राशि जमा करवा दी गई है। धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया है। प्रकरण खारिज फरमावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्परिवर्तन किये बिना अप्रार्थी द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। अतः उक्त भूमि जिसका कृषि से भिन्न आवासिय प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, को राज्य सरकार में समाहित करते हुए प्रार्थी को उसका कब्जा प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भादरेश गांधव के खेत खसरा संख्या 201/119 रकबा 30.00 बीघा के अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। उक्त भूमि मे 06.00 बीघा भूमि अनाज के भण्डार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस हेतु शुल्क रू. 72855/– भी जमा करवाई गई है। इस प्रकार भूमि सम्परिवर्तन बाबत् राशि

Cont... 2 ...

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जमा करवा दी गई है। धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया है। प्रकरण खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा भादरेश गांधव के खेत खसरा संख्या 201/119 रकबा 30.00 बीघा भूमि में से आवासिय प्रयोजनार्थ 06.00 बीघा भूमि सम्परिवर्तन हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उसके साथ चालान संख्या 115 दिनांक 09.07.2010 द्वारा राशि रू. 72855/– राजकोष में जमा करवाई है। प्रकरण 2011 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि सम्परिवर्तन बाबत् कार्रवाई 2010 में ही प्रारम्भ कर दी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.04.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner